भारत सरकार

नागर विमानन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या : 1870

दिनांक 22 सितम्बर , 2020 / 31 भाद्रपद, 1942 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

विमानों द्वारा मानव मलमूत्र गिराना

1870. श्री गोपाल शेट्टी:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस तथ्य पर ध्यान दिया है कि देश के विमानपत्तनों पर उतरने के समय विमानों द्वारा विमानपत्तनों के समीप के घरों/आवासीय कॉलोनियों पर मानव अपशिष्ट/मूत्र या मल गिर जाता है;

(ख) यदि हां, तो कोई निरोधात्मक उपाय ना करने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार द्वारा सभी कम्पनियों और विमानपत्तनों पर सेवाएं देने वाली विमानन कंपनियों से विमानपत्तनों पर विमानों से विमानपत्तनों/टर्मिनलों पर उतरते समय मानव अपशिष्ट और मल एकत्रित करने वाले टेकों से अपशिष्टों का न गिरना सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) से (ग) विमान का डिजाइन उड़ान, टेक ऑफ या लैंडिंग के दौरान मानव अपशिष्ट या मल-मूत्र के निपटान की अनुमति नहीं देता। उड़ान में एकत्रित मानव अपशिष्ट या मल-मूत्र का निपटान एयरलाइनों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है।

*****